# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–19/2025
GCMS NO:- 2025/222

दायर दिनांक: 25.7.2025
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. जितेन्द्र पुत्र स्व. गोपाल जाति कोली नि0 समीधी हाल महावीर नगर तृतीय तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2. कन्हैयालाल आ0 रामनिवास जाति कोली नि0 समीधी हाल श्रीनाथपुरम कोटा जिला कोटा।
3. मदनलाल आ. गोपाल जाति कोली नि0 समीधी हाल महावीर नगर तृतीय तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. मोहनलाल पुत्र गोपाल जाति कोली नि0 समीधी हाल महावीर नगर तृतीय तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. रामकन्याबाई पत्नी स्व. रामनिवास जाति कोली नि0 समीधी हाल श्रीनाथपुरम कोटा जिला कोटा।
6. सुरजाबाई पत्नी स्व. गोपाल जाति कोली नि0 समीधी हाल महावीर नगर तृतीय तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
7. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास जाति कोली नि0 समीधी हाल श्रीनाथपुरम कोटा जिला कोटा।
8. अनिता पुत्री गोपाल पत्नी लोचन पंचोनिया जाति कोली हाल नि0 रतलाम जिला रतलाम (म0प्र0)

प्रार्थीगण

**बनाम**

भूस्वामी राजस्थान सरकार द्वारा श्रीयुत तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 29.07.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम समीधी तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 738 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2247/1350 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है।

यह कि प्रार्थीगण उनके खातेदारी की कृषि भूमि जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे दिया गया है, की नियमानुसार पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी के अभाव मे मौके पर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण रोजगार हेतु बाहर रहते है जिससे आस पडौस के कृषक सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस की प्रति आदि पेश कर अन्तर्गत धारा 111, 128 एलआर एक्ट के तहत् पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि पत्रावली मे प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि जो कि प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है, की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया गया है। चुंकि उक्त प्रार्थना पत्र एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण के खाते मे दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थना पत्र मे उक्त भूमियों पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त होना बताया गया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम समीधी तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 738 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2247/1350 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि पर यदि प्रार्थीगण का कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ